भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 2148
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन स्थलों पर जाने हेतु दिशानिर्देश

2148. श्री राकेश सिंह:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है;

(ख) क्या इन स्थानों पर कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या इन पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ड.) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क): पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटक स्थल वार पर्यटकों के आगमन के आंकड़े नहीं रखे जाते तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र वार घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का विवरण अनुबंध में है ।

(ख) से (च): पर्यटन का विकास एवं संवर्द्धन प्रमुख रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर जैसे यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बी एंड बी और होम स्टे और यात्रा एजेंट, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक गाइड आदि के लिए परिचालन सिफारिशें (एसओपी) तैयार की हैं । इन्हें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन सचिवों और यात्रा व्यापार तथा आतिथ्य संघों को परिचालित किया गया है ।

*****

अनुबंध

पर्यटन स्थलों पर जाने हेतु दिशानिर्देश के संबंध में दिनांक 02.08.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2148 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र वार घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राएं (एफटीवी)

		2018		2019		2020	
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**डीटीवी**	**एफटीवी**	**डीटीवी**	**एफटीवी**	**डीटीवी**	**एफटीवी**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	498279	15242	505398	16206	191207	5412
2	आंध्र प्रदेश	194767874	281083	237051508	280356	70828590	67591
3	अरुणाचल प्रदेश	512436	7653	555639	7825	42871	961
4	असम	4710617	15592	5447805	26878	1266898	7285
5	बिहार	33621613	1087971	33990038	1093141	5638024	308080
6	चंडीगढ़	1538796	39681	1563795	44132	417953	12218
7	छत्तीसगढ़	19329501	14399	17304506	6817	2810227	2322
8	दादरा और नागर हवेली	609435	1608	618330	1666	104959	222
9	दमन और दीव	898824	5694	897804	5703	297436	1382
10	दिल्ली #	29114423	2740502	36467598	2983436	9583671	681230
11	गोवा	7081559	933841	7127287	937113	3258715	302751
12	गुजरात	54369873	513113	58864661	595607	19464517	210047
13	हरियाणा	4888952	73977	4549017	48046	2114731	17474
14	हिमाचल प्रदेश	16093935	356568	16829231	382876	3170714	42665
15	झारखण्ड	35408822	175801	35580768	176043	2574704	490
16	जम्मू और कश्मीर	17076315	139520	16163330	57920	2519524	5317
17	कर्नाटक	214306456	543716	227934714	608754	77453339	165325
18	केरल	15604661	1096407	18384233	1189771	4988972	340755
19	लक्षद्वीप	10435	1313	6985	820	3462	413
20	लदाख	-	-	241285	38652	6743	1126
21	मध्य प्रदेश	83969799	375476	88707139	327958	23519632	99819
22	महाराष्ट्र #	119191539	5078514	149294703	5528704	39234591	1262409
23	मणिपुर	176109	6391	167560	13608	49669	3139
24	मेघालय	1198340	18114	1245633	25813	24734	2311
25	मिजोरम	76551	967	163762	2249	30890	265
26	नागालैंड	101588	5010	125949	5577	10979	518
27	ओडिशा	15208540	110818	15307637	115128	4622273	10206
28	पुडुचेरी	1616660	141133	1713248	149919	1114942	92080
29	पंजाब	44595061	1200969	47385387	1101343	16692197	359114
30	राजस्थान	50235643	1754348	52220431	1605560	15117239	446457
31	सिक्किम	1426127	71172	1421823	133388	316408	19935
32	तमिलनाडु	385909376	6074345	494865257	6866327	140651241	1228323

33	तेलंगाना	92878329	318154	83035894	323326	39997001	46694
34	त्रिपुरा	414388	102861	437201	154405	127815	31877
35	उत्तर प्रदेश	285079848	3780752	535855162	4745181	86122293	890932
36	उत्तराखंड	35609650	151320	37585920	152273	7005264	41339
37	पश्चिम बंगाल	85657365	1617105	92366025	1656145	28841732	463285
	कुल योग	**1853787719**	**28851130**	**2321982663**	**31408666**	**610216157**	**7171769**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यटन विभाग

 # 2018 पर 2019/18 के लिए अखिल भारतीय वृद्धि दर को लागू करके 2019 के लिए आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है और 2019 आंकड़े पर 2020/19 के लिए अखिल भारतीय वृद्धि दर को लागू करके 2020 के आंकड़े का अनुमान लगाया जाता है ।

*****